

5/2/19

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

22

अधिसूचना

संचिका सं०:-प्र02/वि0आ0छुट्टी0नियमा0-12/2007- ७५

पटना, दिनांक:- ०४/०४/१९

श्री रमेश कुमार चौधरी, सदस्य, बिहार विद्युत विनियामक आयोग को बिहार विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्त) नियमावली-2003 के नियम-6(1) एवं अखिल भारतीय सेवा छुट्टी नियमवाली-1955 के नियम 12 के अनुसार निम्नांकित छुट्टियाँ की घटनोत्तर स्वीकृति दी जाती है:-

1. अर्द्धवैतनिक अवकाश (Half Pay Leave)

दिनांक-29.04.2019 से 10.05.2019 (कुल 12 दिन)

2. श्री चौधरी को दिनांक-27.04.2019 से 28.04.2019 एवं दिनांक 11.05.2019 से 13.05.2019 तक सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की भी घटनोत्तर स्वीकृति दी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(विनोदा नन्द झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।